भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1467
(29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों का चयन

1467. श्री के. सुधाकरन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के विभिन्न चरणों के अंतर्गत सड़कों के चयन के दौरान केरल में जन प्रतिनिधियों से परामर्श हेतु अपनाई गई विशिष्ट प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और अंतिम प्रस्तावों में उनके सुझावों को किस प्रकार शामिल किया गया;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत पीएमजीएसवाई परियोजनाओं के अंतिम प्रस्ताव कथित तौर पर राजनीतिक रूप से भेदभाव पूर्ण हैं और राज्य में सत्तारूढ़ दल के अलावा अन्य दलों के जन प्रतिनिधियों को अक्सर परामर्श और नियोजन प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि जन प्रतिनिधियों द्वारा चिन्हित स्थानीय विकास प्राथमिकताएँ पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित हों और साथ ही राज्य तकनीकी एजेंसियों (एसटीए) और राज्य-स्तरीय स्वीकृत समितियों (एसएलएससी) द्वारा लागू तकनीकी जाँच और मानकों को बनाए रखा जाए; और

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव पीएमजीएसवाई-चार के अंतर्गत जन प्रतिनिधियों की औपचारिक भूमिका को बढ़ाने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) IV के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार , जिला ग्रामीण सड़क योजना (डीआरआरपी) को अद्यतन किया जाना है और माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए सड़क संपर्कविहीन बसावटों की व्यापक नई संपर्कता प्राथमिकता सूची (सीएनसीपीएल) का मसौदा तैयार किया जाना है। पीएमजीएसवाई IV के

कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा 5.5 के अनुसार, सीएनसीपीएल तैयार और सत्यापित होने के बाद इसे जिला पंचायत के समक्ष रखा जाएगा। माननीय संसद सदस्य/विधायकों को सीएनसीपीएल की एक प्रति दी जाएगी तथा उनके सुझावों और निचले स्तर की पंचायती राज संस्थाओं के सुझावों पर जिला पंचायत द्वारा अनुमोदन प्रदान करते समय पूर्ण विचार किया जाएगा।

इसके अलावा, पीएमजीएसवाई-I के कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा 5.6 के अनुसार, जिला पंचायत द्वारा सीएनसीपीएल के अनुमोदन के बाद , प्रस्तावों को परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) द्वारा राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एसआरआरडीए) को भेजा जाएगा। उस समय पीआईयू माननीय संसद सदस्यों द्वारा उनकी सहमति से प्रपत्र एमपी- 1 में भेजे गए प्रस्तावों का विवरण तैयार करेगा तथा प्रपत्र एमपी- II में उन पर की गई कार्रवाई का विवरण तैयार करेगा, जिसमें प्राथमिकता और अन्य विवरण दर्शाए जाएंगे तथा प्रस्तावों के साथ उसे भेजा जाएगा। उन सभी मामलों में जहां माननीय संसद सदस्य का प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है , जिला पंचायत द्वारा एमपी- 11 प्रारूप में दिए गए कारणों के आधार पर ठोस कारण बताए जाएंगे।

इसके अलावा, कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा 5.7 के अनुसार एसआरआरडीए प्रस्तावों की जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रस्ताव दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं और उन्हें एमपी- 1 और एमपी-II विवरणों के साथ राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के पैरा 5.8 के अनुसार, एसएलएससी प्रस्तावों की जांच करेगी ताकि यह देखा जा सके कि वे दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं तथा माननीय संसद सदस्यों के प्रस्तावों पर पूर्ण विचार किया गया है। उन सभी मामलों में जहां माननीय संसद सदस्यों के प्रस्तावों को शामिल नहीं किया गया है , उन्हें ठोस कारण बताए जाएंगे और इन्हें राज्य स्तरीय स्थायी समिति की कार्यवाही में दर्ज किया जाएगा। एसएलएससी द्वारा जांच के बाद , पीआईयू प्रत्येक प्रस्तावित सड़क कार्य के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेगा।

केरल राज्य सरकार द्वारा अभी तक पीएमजीएसवाई IV के अंतर्गत कोई प्रस्ताव मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं किया गया है। राज्यों द्वारा प्रस्तावों को स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को व्यवहार्य बैचों में प्रस्तुत किया जाता है। पीएमजीएसवाई IV के कार्यान्वयन की समय-सीमा मार्च, 2029 तक है।

(ग) से (घ) पीएमजीएसवाई-IV दिशानिर्देशों के अनुसार, डीपीआर की तैयारी शुरू करते समय, पीआईयू ग्राम पंचायत के तंत्र के माध्यम से स्थानीय समुदाय के साथ परामर्श करेगा ताकि सबसे उपयुक्त संरेखण का निर्धारण किया जा सके , भूमि की उपलब्धता (वन भूमि सहित) के

मुद्दों को सुलझाया जा सके, विशेष रूप से सड़क चौड़ीकरण/संरेखण में मामूली परिवर्तन आदि के कारण, प्रस्तावित वृक्षारोपण, किसी भी प्रतिकूल सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सके और कार्यक्रम में आवश्यक सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इस उद्देश्य के लिए, पीआईयू एक औपचारिक 'ट्रांजैक्ट वॉक' का आयोजन करेगा।

इसके अलावा , पीएमजीएसवाई के तहत सड़क निर्माण कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण सड़कों के विनिर्देशों , भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के ग्रामीण सड़क संहिता (आईआरसीः एसपीः 20), आईआरसीः एसपीः 72 और जहां आवश्यक हो , पहाड़ी रोड संहिता (आईआरसीः एसपीः 48) और अन्य आईआरसी कोड/दिशानिर्देशों में दिए गए तकनीकी विनिर्देशों और ज्यामितीय डिजाइन मानकों के अनुसार किया जाता है।

माननीय संसद सदस्यों/जन प्रतिनिधियों , राज्य तकनीकी एजेंसियों (एसटीए) और राज्य स्तरीय स्थायी समितियों (एसएलएससी) की भूमिका दिसंबर , 2024 के दौरान जारी पीएमजीएसवाई-IV दिशानिर्देशों में पहले से ही परिभाषित की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श पत्र जारी किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीएमजीएसवाई IV प्रस्तावों को मंजूरी के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करते समय दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए।

****